



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122024-259359
CG-DL-E-12122024-259359

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4959]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/अग्रहायण 20, 1946

No. 4959]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/AGRAHAYANA 20, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
आदेश

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5358(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा, प्रयोगशाला ग्लासवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

1. (1) इस आदेश को प्रयोगशाला ग्लासवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2.) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. प्रयोगशाला ग्लासवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैराग्राफ 2 में, तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः:

"बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात, इस आदेश के लागू होने की तारीख से दो वर्ष तक, केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के "उद्यम पोर्टल" पर पंजीकृत किसी उद्यम द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित उन वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी, जिनमें मूल लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश

पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले वित्त वर्ष का टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात प्रयोगशाला ग्लासवेयर के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी, और ऐसे आयातित माल या वस्तुओं को वाणिज्यिक रूप से बेचा नहीं जाएगा और उन्हें इस शर्त के साथ स्कैप के रूप में निपटाया जाएगा कि विनिर्माता ऐसे माल या वस्तुओं का वित्त वर्षवार रिकॉर्ड रखेंगे और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

[फा. सं. पी-29026/10/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव,

नोट:- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या सा.आ. 44(अ), दिनांक 3 जनवरी, 2024 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE
ORDER

New Delhi, the 10th December, 2024

S. O. 5358(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Laboratory Glassware (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This Order may be called the Laboratory Glassware (Quality Control) Amendment Order, 2024.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Laboratory Glassware (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 2, after the third proviso the following proviso shall be inserted, namely:

“Provided also that nothing in this Order shall apply up to two years from the date of commencement of this Order, to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered on the "Udyam portal" of the Central Government in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant:

Provided also that nothing in this Order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of laboratory glassware per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish to the Central Government”.

[F. No. P-29026/10/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Note.- The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 44(E), dated the 3rd January, 2024.